

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एल.जी.डी की अधिसूचना

LGD Notification

MODIFY TYPE OF LOCALBODY

Published By

Name Lekhraj Jagrat
Designation Senior Joint Legal Remembrancer
Mobile no. 9829361117
IP Address 164.100.145.17
On date 28/06/2024

Proposed By

Name MONIKA RAJ
Designation INFORMATICS ASSISTANT
Mobile no. 9509429221
IP Address 164.100.222.44
On date 29/01/2024

Local body Name (In English) {local-body-name-english}
Local body Type Name (Old) {local-body-type-name-old}
Local body Type Name (New) {local-body-type-name-new}
Effective Date Mon Jul 10 00:00:00 IST 2023

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)() (ब.घो.)डीएलबी/23/2311 दिनांक 10/7/2023
अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 10.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ध के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (b) के खण्ड (ग) सम्बंधित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदेश शासन के प्रयोग करते हुए एवं मानकों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निर्धारित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत भीम (जिला राजसमन्द) को सम्मिलित करते हुए एतद्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है :-

क्र. सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र एवं जनसंख्या
01	राजसमन्द	भीम	ग्राम पंचायत भीम की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम भीम के सम्पूर्ण सीमा, एवं राजस्व ग्राम पेलाडोल, कलालिया के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए जनसंख्या - 12,814 (जनगणना 2011 के अनुसार)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2023-24 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भीम के सम्पूर्ण राजस्व ग्राम भीम, पेलाडोल, कलालिया की सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी । विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दि. 1/6/21 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भीम के निर्वाचित सरपंच/उप सरपंच एवं वार्ड पंचों को नवगठित नगर पालिका में उभरा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य समझा जावेगा । यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से.

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)() (ब.घो.)डीएलबी/23/2312-2350 दिनांक 10/7/2023

- प्रतिष्ठित सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
- 01 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
 - 02 निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
 - 03 निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
 - 04 अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
 - 05 सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
 - 06 निजी सचिव निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
 - 07 सचिव/ आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से फुलक रिटै जने के लक्ष्य में निवमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव/सचिव को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु मिजवाला जाना सुनिश्चित करे।
 - 08 निदेशक जनगणना विभाग राज. जयपुर/निदेशक स्थानीय निर्देशक अखिलेश शर्मा राज. जयपुर।
 - 09 विभागीय आयुक्त उदयपुर/जिला कलेक्टर राजसमन्द (राजस्थान) ।
 - 10 मुख्य नगर निरीक्षक नगर निर्वाचन विभाग राज. जयपुर/पीअरजी निदेशक एवं ।
 - 11 निदेशक/वाणीलक राजकीय कौटिल्य मूहपातय राज. जयपुर को अवधी अतःकाल्य अंक राज. जयपुर से प्रकाशनायक एवं 20 प्रतिशत उपलब्ध कराने हेतु।
 - 12 वित्तीय सहायक/समस्त अधिकारियों एवं अनुसंधान निदेशक राज. जयपुर।
 - 13 उप निदेशक (सिटीय) स्थानीय विकास विभाग समस्त राजस्थान।
 - 14 निदेशक अधिवक्ता केबलरिट निदेशक एवं अधिवक्ता काना हेतु।
 - 15 सचिव/उपसचिव/सचिव सहायक ग्राम पंचायत भीम (राजसमन्द) (रा.ज.)।
 - 16 सुनिश्चित पत्राचार।

(राज. जयपुर)
सचिव सचिव विशिष्ट पंचायत